i;koj.k vkj miHkkDrk% LFkk;h
miHkkx d fy, lkoHkkfed [kkt

i.kc cu th

ikQl j] vFk'kkL=

Hkkjrh; ykd i'kklu lLFkku

ubl fnYyh

Hkkjrh; ykd i'kklu lLFkku

ubl fnYyh

miHkkDrk f'k{kk ekukxkQ lhjht

liknd
एस.एस. सिंह
राकेश गुप्ता
सपना चड्ढ़ा

© भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
2006

मूल्य 20/– रुपये

उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण में अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों आदि के शामिल करने को बाढ़ावा देने वाले परामर्शी कार्य के तत्वावधान में प्रकाशित।

प्रायोजक : उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और न्यू यूनाइटेड प्रोसैस, ए–26, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली, फोन : 25709125 में मुद्रित।

i;koj.k vkj miHkkDrk LFkk;h miHkkx d fy, lkoHkkfed [kkt

i"BHkfe

पिछली शताब्दी के पार होने तक, उत्पादन और खपत की निरंतरता, विश्व की एक मुख्य चिन्ता के रूप में उभर कर सामने आ गई थी और इसका पर्याप्त कारण था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने मानव–जाति को अपने वातावरण और मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के साधनों को रूपांतरित करने की क्षमता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के अनुसार, *"अनुमान है कि बीसवीं शताब्दी में उत्पादित सामान और सेवाओं की कुल मात्रा, रिकार्ड किए गए पिछले मानव इतिहास के कुल संचयी उत्पादन से अधिक थी"*[1]। 1990 और 2000 के बीच विश्व के उत्पादन[2] में लगभग 19 गुना वृद्धि हुई और विश्व की जनसंख्या 1.6 बिलियन से बढ़कर 6.3 बिलियन हो गई। केवल पिछले 25 वर्षों में विश्व की खपत दोगुनी होकर 1998 में 24 लाख करोड़ डालर की विशाल राशि तक पहुंच गई। हालांकि आर्थिक प्रगति से मानव जाति को बहुत अधिक लाभ हुए परन्तु

---

[1] आई.एम.एफ., वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, मई 2000 पृष्ठ 150–151

[2] स्थिर मूल्य पर जीडीपी, स्रोत वहीं

नकारात्मक प्रभाव भी उतना ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन[3] में आर्थिक विकास के बिगड़ते हुए पर्यावरणीय प्रभावों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई।

"हम अपने इर्द–गिर्द, पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों में मानवकृत क्षति का बढ़ता हुआ साक्ष्य देखते हैं: मानवकृत पर्यावरण में, विशेष रूप से जीवन और कार्य के पर्यावरण में मानव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक[4], जल, वायु, पृथ्वी और जीवधारियों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर; जीवन मण्डल के पारिस्थितिकीय संतुलन में बड़ी और अनपेक्षित गड़बड़ियां, गैर–प्रतिस्थापनीय संसाधनों का विनाश और रिक्तीकरण; और गंभीर कमियां।"

वैश्विक स्तर पर, स्टाकहोम सम्मेलन पहला मील का पत्थर था जिसमें स्थायी विकास की समस्या पर चर्चा की गई। सन् 1980 और 1983 में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर बने स्वतंत्र आयोग[5] ने दो महत्त्वपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित की जिसमें पहली बार विकास, पर्यावरण और गरीबी के बीच त्रिपथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। चूंकि पर्यावरणीय आंदोलनों को शक्ति मिली, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने, पर्यावरण और

[3] जो आमतौर पर स्टाकहोम घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है।

[4] स्टाकहोम घोषणापत्र, उद्घोषणा 3।

[5] इसे ब्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता तत्कालीन जर्मनी संघ गणराज्य के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट द्वारा की गई थी। कमीशन द्वारा प्रकाशित की गई दो रिपोर्टें थीं – नार्थ साउथः जीवित बचे रहने के लिए कार्यक्रम (1980) और सामूहिक संकट 1983।

विकास के संकट की जांच करने के लिए सन् 1983 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (डब्ल्यू सी ई डी)[6] की स्थापना की और स्थायी विकास के लिए संरचना का प्रस्ताव दिया। इसकी ऐतिहासिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएँ अमीर देशों के खपत तथा उत्पादन के गैर–स्थायी तरीकों का और विकासशील देशों में गरीब जनता के उत्पादों का परिणाम थी। इसमें एक नई रणनीति की मांग की गई जो पर्यावरण और विकास का संयोजन था और इसे "स्थायी विकास" कहा गया। इसकी परिभाषा निम्नलिखित रूप में की गईः

"स्थायी विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

इस परिभाषा का पहला आशय यह था कि ब्रंटलैंड आयोग ने पूरी मानव–जाति के लिए मूल आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वोपरि प्राथमिकता दी। तथापि रिपोर्ट में यह महसूस किया गया कि मूलभूत पर्यावरणीय समस्या, आर्थिक विकास का नतीजा नहीं है बल्कि विकास के स्वरूप का नतीजा है। इसमें स्थायी विकास के लिए निम्नलिखित सात–सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव किया गयाः विकास को पुनरुज्जीवित करना, विकास के स्वरूप को बदलना, मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना, स्थायी जनसंख्या स्तर

[6] इसे ब्रंट लैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यू सी ई डी की अध्यक्षता नार्वे के प्रधान मंत्री ग्रो हारलम ब्रंटलैंड द्वारा की गई थी। डब्ल्यू सी ई डी की "हमारा सामूहिक भविष्य" शीर्षक वाली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी।

प्राप्त करना, राष्ट्रीय संसाधन आधारों का संरक्षण करना और उनमें वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी में संशोधन करना और आर्थिक तथा पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को संघटित करना।

ब्रंटलैंड आयोग का महत्त्व इस तथ्य पर आधारित था कि ब्रंट आयोग से भिन्न यह सीधे संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को रिपोर्ट करती थी। आम सभा ने पांच साल बाद सन् 1992 में निरंतरता में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी जो रिओ सम्मेलन[7] के नाम से प्रसिद्ध हुई। रिओ सम्मेलन में, अन्य संकल्पों और घोषणाओं के अलावा एजेंडा 21 कार्य योजना अपना कर, स्थायी खपत और उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। एजेंडा 21, 40 अध्यायों और 500 पृष्ठों वाला एक विशाल दस्तावेज है। इसमें गरीबी में कमी करने और पर्यावरण की रक्षा करने के जरिए स्थायी विकास के उद्देश्य को महसूस करते हुए, लक्षित उद्देश्यों और नीतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह दस्तावेज कानूनन बाध्यकारी नहीं है और इसमें एक विस्तृत (परन्तु महत्त्वाकांक्षी) कार्य योजना, दिशानिर्देशों का सैट और सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), स्थानीय निकायों और बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए तैयार की गई अच्छे व्यवहार की एक नियम–पुस्तक दी गई है। एजेंडा 21 के कार्यान्वयन पर निगरानी

[7] पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) 1992 में रिओ डे जेनेरियो में हुआ। इस सबसे बड़े पर्यावरणीय सम्मेलन में 30,000 लोगों और 100 से अधिक राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। यह यू.एन.सी.ई.डी. 'अर्थ सम्मिट' के नाम से भी जाना जाता है।

रखने के लिए, यू.एन.सी.ई.डी. ने, स्थायी विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग[8] के सृजन की सिफारिश की।

एजेंडा 21 के "खपत के बदलते नमूने" शीर्षक वाले अध्याय 4 में, खपत के नमूनों के पुनः स्थिति–निर्धारण की आवश्यकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतियां और रणनीतियां दी गई हैं। यह अध्याय दो कार्यक्रम क्षेत्रों से संबंधित हैः (क) उत्पादन और खपत के अस्थायी पैटर्नों पर ध्यान केन्द्रित करना, और (ख) अस्थायी खपत पैटर्नों में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और रणनीतियां तैयार करना। dk;Øe {k= ¼d½ के उद्देश्य हैं – खपत और उत्पादन के स्थायी पैटर्नों को बढ़ावा देना, मानव–जाति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना और खपत की भूमिका की समझ–बूझ में वृद्धि करना तथा स्थायी खपत पैटर्नों को बढ़ावा देने के तरीके खोजना। यह उद्देश्य, प्रबंधकीय और अनुसंधान कार्यसूची के मिश्रण के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। dk;Øe {k= ¼[k½ – इस कार्यक्रम को, संसाधन–उपयोग दक्षता में वृद्धि करके, अपशिष्ट बनने में कमी करके, स्थायित्व के प्रति उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करके, सरकारी अधिप्राप्ति को पुनः निर्धारित करके, पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ मूल्य नीतियों को बढ़ावा देकर और स्थायी खपत को समर्थन देने वाले मूल्यों को पुनर्बलित करके पूरा किया जा सकता है।

[8] स्थाीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना बाद में, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् (ई सी ओ एस ओ सी) के अंतर्गत की गई।

पहले, सन् 1985 में, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश स्वीकार कर लिए थे। हालांकि दिशानिर्देश कानूनन बाध्यकारी नहीं थे, परन्तु फिर भी उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए विधायी और नियामक प्रक्रियाएं तैयार करने में सरकारों द्वारा इस्तेमाल के लिए आशयित एक विस्तृत और नीति संबंधी संरचना उपलब्ध कराई। यह दिशानिर्देश, इस बात को मान्यता देने का परिणाम थे कि "उपभोक्ता अक्सर आर्थिक शर्तों, शिक्षा के स्तरों और समझौता करने की शक्ति में असंतुलनों का सामना करते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ताओं को गैर–खतरनाक उत्पादों तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए और उचित, न्यायसंगत तथा स्थायी आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के महत्त्व को समझना चाहिए और उचित, न्यायसंगत तथा स्थायी आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के महत्त्व को समझना चाहिए[9]। इन दिशानिर्देशों ने उपभोक्ता संरक्षण के निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया । उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को होने वाले खतरों से उनकी रक्षा करना; उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना; सूचना तक पहुंच ताकि उपभोक्ता संसूचित चयन कर सकें; उनकी पसंद पर उपभोक्ता शिक्षा का प्रभाव; प्रभावी शिकायत निवारण और उपभोक्ताओं को

[9] इकोसोक, उपभोक्ता संरक्षण और स्थायी उपभोक्ता पर यू.एन.सी.एस.डी. के पृष्ठभूमि वाले पेपर में उद्धृत, उपभोक्ता संरक्षण, सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट ई/1995/70: वैश्विक उपभोक्ता के लिए मार्गनिर्देश, 1998।

प्रभावित करने वाले मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं की प्रतिभागिता।

"पिछले दशक के दौरान उपभोक्ताओं में बहुत जागरूकता आई है जिससे उनकी खरीद संबंधी पसंद का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित विभिन्न मीडिया अभियानों के माध्यम से, उपभोक्ता केवल गुणवत्ता वाले सामान पर विचार करने के लिए ही प्रेरित नहीं हुए हैं बल्कि उन स्थितियों, जिनके अधीन सामान बनाया गया, पर विचार करने के लिए भी प्रेरित हुए हैं। वे आवश्यकताओं और इच्छाओं में भी भेद करने लगे हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों में स्थायी खपत के उद्देश्यों को शामिल कर लेने से, उस महत्त्वपूर्ण भूमिका की मान्यता को पुनर्बल मिलेगा जो वैश्विक पर्यावरण की रक्षा करने में उपभोक्ता निभा सकते हैं"।[10]

1995 में यू.एन.सी.एस.डी. ने दिशानिर्देशों के विस्तारण की सिफारिश की ताकि उसमें स्थायी खपत को कवर किया जा सके। 1995 और 1997 में, इकोसोक ने इस सिफारिश को दोहराया। 1999 में इन दिशानिर्देशों का विस्तारण किया गया ताकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के *दिशानिर्देशों* के एक विशिष्ट सैक्शन (जी सैक्शन) के रूप में स्थायी खपत को शामिल किया जा सके और इन्हें 1999 के अन्तिम महीनों में आम सभा द्वारा इन्हें अपनाया गया। रिओ सम्मेलन में दी गई सहमति

[10] यू.एन.सी.एस.डी. पृष्ठभूमि वाला पेपर, वही।

के अनुसार स्थायी विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में "महत्त्वपूर्ण अगले कदम" के रूप में इसका स्वागत किया गया। 'कंज्यूमर इंटरनेशनल' (सी आई) के प्रवक्ता के अनुसार "उपभोक्ता संरक्षण ने अधिक हरित भविष्य में एक अग्रगामी छलांग लगाई है। यह, इसे अपनाए जाने से अब तक का, उपभोक्ता अधिकारों के इस महाधिकार–पत्र का पहला बड़ा आधुनिक काम है। ..... यह निर्णय उपभोक्ताओं की जीत को व्यक्त करता है और एक ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिसे सरकारें, स्थायी विकास के लिए प्रभावी कार्य योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यावित करने में इस्तेमाल कर सकती हैं।"[11]

vFk

विस्तारित दिशानिर्देशों में अब स्थायी खपत का उन्नयन, उसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के रूप में शामिल है और इसमें इस मुद्दे पर एक अध्याय भी दिया गया है। तथापि, इसमें 'स्थायी खपत' की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। 'स्थायी खपत का उन्नयन' शीर्षक वाला जी सैक्शन यह उल्लेख करने से शुरू होता है कि *"स्थायी खपत में, वर्तमान और भावी पीढ़ी की सामानों और सेवाओं की वह आवश्यकताएँ पूरी करना शामिल है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी हों।"* यह परिभाषा, स्थायित्व की ब्रंटलैंड परिभाषा और रिओ सम्मेलन के

[11] अन्ना फिल्दरः निदेशक, विकसित और पारगमन अर्थशास्त्र, उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय (1999) का कार्यालय, ट्रैकिंग प्रोसैसः स्थायी उपभोक्ता नीतियों का कार्यान्वयन (2002) में यथा उद्धृत।

एजेंडा 21 के अध्याय 4 में दी गई परिभाषा के मुकाबले विस्तृत है क्योंकि इसमें आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व शामिल हैं जबकि बाद वाली दोनों परिभाषाएं खपत और उत्पादन के लगभग अनन्य रूप से पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देती हैं। केवल 'आवयकताएं पूरी करने' का उल्लेख करके यह संदेह उत्पन्न करती है और 1995 में यू.एन.सी.ई.डी. द्वारा अपनाई गई स्थायी खपत की अधिक स्पष्ट परिभाषा से भिन्न है।

"मूलभूत आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली सेवाओं और संबंधित उत्पादों के इस्तेमाल से जीवन का स्तर बेहतर बनता है जबकि यह प्राकृतिक संसाधनों और जहरीली सामग्री और अपशिष्ट के उत्सर्जन तथा प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को न्यूनतम कर देता है ताकि इससे भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रतिकूलतः प्रभावित न हों।"[12]

'स्थायी खपत' की संकल्पना की विभिन्न परिभाषाओं से दो महत्त्वपूर्ण बातें उभर कर आई हैं।

पहली बात यह है कि अमीर व्यक्तियों द्वारा खपत के उच्च स्तरों के कभी–कभी संदर्भ के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दी गई परिभाषा में 'स्थायी खपत' के बारे में वास्तव में कोई जिक्र नहीं है। यू.एन.सी.एस.डी. द्वारा दी गई परिभाषा में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मुख्य मुद्दा यह है कि प्राकृतिक संसाधनों और अपशिष्टों के उत्सारण तथा प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थों

[12] ट्रेकिंग प्रोग्रैस में यथा उद्धृत, वही।

का इस्तेमाल कम से कम करते हुए जीवन के स्तर को बेहतर बनाया जाए। यह दृष्टिकोण एजेंडा 21 में दिए गए विवरण से लिया गया है, जो निम्नलिखित हैः

"स्थायी विकास की प्राप्ति के लिए, खपत के पैटर्नों में परिवर्तनों और उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता दोनों की आवश्यकता होगी।"

अन्तर्राष्ट्रीय खपत में 'खपत' शब्द को बदल कर 'खपत के पैटर्न' कर देना बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 'खपत' खपत की मात्रा से सम्बद्ध है जबकि 'खपत के पैटर्न' खपत और उत्पादन के चक्र में शामिल संसाधनों के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित करता है। 'खपत के पैटर्न' शब्द का इस्तेमाल अब खपत के दो पहलुओं – सामान और सेवाओं की खपत और इन उपभोज्य वस्तुओं की खपत तथा उत्पादन से उत्पन्न प्रभाव, का अंतर दर्शाने के लिए किया गया है। इसलिए, यू.एन.सी.एस.डी., स्थायी खपत को एक *"छत्र मानता है। यह ऐसा शब्द है जिसमें अनेक मुख्य मुद्दे आ जाते हैं, जैसे आवश्यकताएं पूरी करना, जीवन स्तर में सुधार करना, संसाधन दक्षता में सुधार करना, अपशिष्ट को न्यूनतम करना, जीवन चक्र के परिदृश्य को प्रभावित करना और समानता के आयाम का ध्यान रखना"।*[13] अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार स्थायी खपत का अर्थ संभवतः अमीर लोगों द्वारा भी 'कम खपत'

[13] स्थायी खपत और अधिक स्वच्छ उत्पादन, ग्लोबल स्टेटस 2002।

नहीं है बल्कि इसका अर्थ है – अधिक दक्ष और संभवतः 'भिन्न' खपत तथा स्वच्छ और दक्ष उत्पादन।

दूसरी बात यह है कि स्थायी खपत की अपनी संकल्पना में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थायित्व को शामिल करके, विस्तारित दिशानिर्देशों में, संकल्पना का एक अलग आयाम उत्पन्न हो गया है। दिशानिर्देशों की संकल्पना, 1994 में विश्व बैंक द्वारा बनाए गए कैपिटल स्टॉक मॉडल के समान हैं।[14] इस अभिधारणा में चार प्रकार की पूंजी की मौजूदगी हैः भौतिक, मानक, सामाजिक और पर्यावरणीय। 'कमजोर स्थायित्व' उस समय प्राप्त होता है जब खपत (और उत्पादन), उस पूंजी के कुल स्टॉक को कम न करे जो पूंजी के सभी चारों प्रकारों का समाकलन हो। दूसरे शब्दों में, स्थायित्व में, पूंजी के स्टॉक के बजाए ब्याज छोड़ देना अंतर्निहित है। कमजोर स्थायित्व, किसी विशेष प्रकार की पूंजी को कम किए जाने की अनुमति देता है बशर्ते कि अन्य प्रकारों की पूंजी को बढ़ाकर हानि की प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जाए कि कुल पूंजी में कमी न आए। 'मजबूत स्थायित्व' अंततोगत्वा, पूंजी के चारों प्रकार के स्टॉकों में से किसी एक प्रकार के स्टॉक में कमी करने को वर्जित करता है। चूंकि 'कमजोर स्थायित्व' के उद्देश्यों का अनुपालन करना आसान है, इसलिए, देश कुछ प्रतिबंधों की शर्त के अधीन इसे अपनाते हैं। यह प्रतिबंध, एक ऐसी निश्चित सीमा निर्धारित करके, लगाए जाते

[14] सेरागेल्डिन, इस्माइल और एन्ड्रीव, संस्करण 1994, विकास को स्थायी बनाना; संकल्पना में कार्रवाई तक, विश्व बैंक।

हैं, जिससे नीचे निश्चित प्रकार की पूंजी नहीं गिरेगी। स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी संकटकालीन स्तर निर्धारित करके, इसे प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से संशोधित 'कमजोर स्थायित्व' को 'कमजोर स्थायित्व धनात्मक' कहा गया है। दिशानिर्देशों में समाविष्ट स्थायित्व के प्रकार को संभवतः जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ा गया है ताकि राष्ट्रीय नीति निर्धारकों को वह तय करने दिया जाए जो प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो।

vUrj

उपभोक्ता संरक्षण के विस्तारित दिशानिर्देशों में "स्थायी खपत का उन्नयन करने को" एक उद्देश्य के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। इसका अनुसरण, सैक्शन द्वारा सामान्य सिद्धान्तों पर किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिशानिर्देशों में उन निम्नलिखित न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने की मंशा व्यक्त की गई है जिनमें 'स्थायी खपत पैटर्नों का उन्नयन' शामिल है। 'स्थायी खपत' और 'स्थायी खपत पैटर्न' के शब्दों का एक–दूसरे के लिए इस्तेमाल जानबूझ कर किया गया है। सामान्य सिद्धान्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकसित देशों को स्थायी खपत पैटर्न प्राप्त करने में आगे आना चाहिए और *'विकासशील देशों को, सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारियों के सिद्धान्तों का उचित ध्यान रखते हुए, अपनी विकास प्रक्रिया में*

स्थायी खपत पैटर्नों को प्राप्त करने की मांग करनी चाहिए। सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारी का सिद्धान्त एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है जो रिओ घोषणापत्र का एक भाग है। इस सिद्धान्त में उल्लेख किया गया है कि *"विश्व के पर्यावरण संबंधी निम्नीकरण के प्रति विभिन्न योगदानों को ध्यान में रखते हुए सरकारों की सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारियां हैं। विकसित देश उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं जो स्थायी विकास की अंतर्राष्ट्रीय खोज में उनकी है। यह जिम्मेदारी उन दबावों जो वैश्विक पर्यावरण पर समाज डालता है और प्रौद्योगिकियों तथा उनके नियंत्रण वाले वित्तीय संसाधनों के दबावों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार की गई है।"*..... इसलिए रिओ घोषणापत्र में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है कि स्थायित्व को सुनिश्चित करने के प्रति विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि अमीर देशों में उत्पादन और खपत पैटर्न 'वैश्विक पर्यावरण' पर अधिक दबाव डालते हैं। *रिओ के एजेंडा 21 के अध्याय 4 में* सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि *"वैश्विक पर्यावरण के निरंतर बिगड़ने का मुख्य कारण, खपत और उत्पादन का अस्थायी पैटर्न है, विशेष रूप से औद्योगिक देशों में"।* यह बात भी नोट किए जाने योग्य है कि *सामान्य सिद्धान्त* में यह सुझाव शामिल है कि स्थायी खपत को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में, *देशों के अंदर और देशों के बीच असमानता कम करने* के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

दिशानिर्देश, मुख्यतः सरकारों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, हालांकि इनमें यह स्वीकार किया गया है कि स्थायी खपत, समाज के सभी सदस्यों और संगठनों की साझी जिम्मेदारी है। समाज के अन्य वर्गों के साथ साझेदारी में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्थायी खपत को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां और कार्यान्वयन साधन तैयार करेगी। सुझाए गए कार्यान्वयन साधनों में 'आर्थिक सहायता बंद करना', वित्तीय साधन', 'आंतरिकीकरण या पर्यावरणीय लागत' और 'सैक्टर विशिष्ट पर्यावरणीय – प्रबंधन सर्वोत्तम व्यवहारों को बढ़ावा देना' शामिल हैं। *एजेंडा 21 के अनुसार,* सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संसाधनों और ऊर्जा के इस्तेमाल में दक्षता को उन्नत करें, उन हस्तक्षेपों के माध्यम से अपशिष्ट को कम करें जिससे डिजाइन, प्रौद्योगिकी, उत्पाद मिश्रण और उत्पाद चक्र प्रभावित होते हैं। सम्बद्ध तरीकों, जैसे पर्यावरणीय मानक तैयार करना, निष्पक्ष पर्यावरणीय परीक्षण और नियामक मानक तथा प्रक्रिया, विशेष रूप से, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक और नुकसानदेह होने वाले पदार्थों के लिए, को सरकारी हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है। सरकारों को भी अपनी अधिप्राप्तियों और खपत प्रणालियों के जरिए उदाहरण पेश करना चाहिए।

सरकारों के लिए विचार की गई अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिका, खपत और खपत तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर जानकारी तथा

सूचना के प्रसार और प्रगति का क्षेत्र है। सरकारों को चाहिए कि वे खपत व्यवहार और पर्यावरणीय प्रभाव पर अनुसंधान को बढ़ावा दें; संकेतक, प्रणलियां और डाटाबेस तैयार करें तथा अनुसंधान संबंधी जानकारी का प्रसार करें; जागरूकता अभियान चलाएं और सूचना उपलब्ध कराएं ताकि उपभोक्ता अधिक स्थायी खपत पैटर्न चुन सकें।

इसलिए, जहां तक इस बात का संबंध है कि इनमें द्विपक्षीय कार्य योजना पर विचार किया गया है जिसमें (*क*) स्थायित्व को बढ़ावा देने की नीतियां, रणनीतियां और साधन तैयार करना, और (*ख*) ज्ञान, प्रणालियां, आंकड़े और सूचना प्रणालियों का उन्नयन शामिल हैं, दिशानिर्देश मोटे तौर पर *एजेंडा 21* के अध्याय 4 में निश्चित किए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तथापि, दोनों प्रकार के दस्तावेजों में बहुत से अंतर हैं।

दिशानिर्देश, एजेंडा 21 से भिन्न हैं क्योंकि इसमें दो महत्त्वपूर्ण विलोपन और एक महत्त्वपूर्ण सन्निवेश है। *एजेंडा 21* में स्पष्ट रूप से 'स्थायी विकास और समृद्धि की नई संकल्पनाएं विकसित करने' को आवश्यक माना गया है। इसमें यह कहते हुए, इस मुद्दे का सविस्तार प्रतिपादन किया गया है कि *"आर्थिक विकास की वर्तमान संकल्पनाओं और सम्पत्ति तथा समृद्धि की नई संकल्पनाओं पर विचार किया जाना चाहिए जो बदली हुई जीवन शैली के माध्यम से उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करती हैं।....."* *एजेंडा* में उन मूल्यों को पुनर्बलित करने के कार्य का भी

उल्लेख किया गया है जो स्थायी खपत का समर्थन करते हैं, हालांकि इसमें अपने ही कथन का पूर्ण निहितार्थ वास्तव में नहीं है। *दिशानिर्देशों* में केवल इन दोनों घटकों का ही विलोप नहीं है बल्कि इसमें नई बात का सन्निवेश भी है जो संभावित रूप से प्रतिबंधात्मक है।

"सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनाई गई नीतियों और उपायों का कार्यान्वयन इस बात का उचित ध्यान रखते हुए किया जाए कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा न बनें और कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी दायित्वों के अनुकूल हों।"

इसलिए यह *दिशानिर्देश* एक अलग छाप छोड़ते हैं कि इनमें उस समस्या के एक प्रबल प्रौद्योगिकीय समाधान की मौन रूप में सहमति है जो आवश्यक रूप से मानवीय है और जिसका समाधान उसी दृष्टिकोण से किया जाता है। *दिशानिर्देशों* में इस महत्त्वपूर्ण सवाल का हल नहीं है कि गैर–स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न बड़े स्तर पर पूरे विश्व में क्यों फल–फूल रहे हैं?

[kkt dh ¼Vfd½ izxfr

विस्तारित *दिशानिर्देशों* को अपनाने के बाद तुरंत परिणाम के रूप में स्थायी खपत के प्रति हुई प्रगति धीमी नहीं थी और यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए

संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों, जो सरकारों के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में, स्थायी खपत नीतियां बनाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का ढांचा प्रस्तुत करते हैं, में स्थायी खपत के शामिल किए जाने के लिए तीन साल बाद यू.एन.ई.पी. और सी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण[15] में पाया गया कि इस दिशा में बहुत कम प्रगति की गई है। इस सर्वेक्षण में, उन सभी 150 सरकारों के पास एक प्रश्नावली भेजी गई जिन्होंने 1999 में दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया था परन्तु उनमें से मुश्किल से एक–तिहाई से ही प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। जो बात चौकाने वाली थी, वह यह थी कि प्रत्युत्तर भेजने वाली सरकारों में से एक–तिहाई से भी अधिक (एक प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार 38 प्रतिशत) सरकारों को वास्तव में इन दिशानिर्देशों की जानकारी नहीं थी।[16] सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रत्युत्तर देने वाले देशों में से केवल आधे से कुछ अधिक देश, स्थायी खपत पैटर्नों के प्रति हुई प्रगति को आंकने के लिए संकेतकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, जहां तक अनुसंधान का संबंध है, केवल 56 प्रतिशत सरकारें, स्थायी खपत पर किए जाने वाले अनुसंधानों को बढ़ावा देती हैं और प्रत्युत्तर देने वाली सरकारों में से इतने प्रतिशत ही, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करती हैं। आशा की किरण इस तथ्य में है कि लगभग 80 प्रतिशत सरकारों ने कहा कि दिशानिर्देश लाभदायक हैं और

[15] 'ट्रैकिंग प्रोग्रैसः स्थायी उपभोक्ता नीतियों का कार्यान्वयन' शीर्षक वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट ने 1999–2000 की अवधि कवर की।
[16] वही।

लगभग इतनी ही प्रतिशत सरकारों ने स्थायी खपत के मुद्दों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा दिया।

'ट्रैकिंग प्रोग्रेस' शीर्षक वाले अध्ययन ने यह सुनिश्चित करने के लिए, उपायों के एक सैट का प्रस्ताव किया, कि स्थायी खपत का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति ठोस प्रगति की जाए। पहली सिफारिश यह थी कि *"सरकारों को एक पंच–वर्षीय अन्तर्राष्ट्रीय ढांचागत कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए जिसका उद्देश्य, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दिशानिर्देशों का विस्तृत और संघटित कार्यान्वयन हो। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डब्ल्यू.एस.एस.डी. स्तर पर किया जा सकता है।"* सरकारों द्वारा आरम्भ की गई कार्य योजना की समय सीमा और मूल्यांकन किए जा सकने योग्य लक्ष्य होने चाहिएं। योजनाओं का केन्द्र बिन्दु नीति संबंधी निम्नलिखित क्षेत्र होने चाहिएं: प्रगति का मूल्यांकन करने पर सूचना; उपभोक्ता व्यवहार पर अनुसंधान; पर्यावरणीय उत्पाद का परीक्षण; विनियामक प्रक्रिया जिसमें आर्थिक साधन शामिल हैं; स्थायी सरकारी पद्धति जिसमें स्थायी अधिप्राप्ति शामिल है; उत्पादों और सेवाओं का जीवन चक्र डिजाइन; और रीसाइक्लिंग कार्यक्रम।

tkgUl cxl ;ktuk

डब्ल्यू.एस.एस.डी.[17], जो स्थायी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगली ऐतिहासिक घटना है, ने अंततः दो

[17] स्थायी विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.एस.डी.) 2002 में जोहन्सबर्ग में आयोजित किया गया।

दस्तावेजों पर सहमति व्यक्त कीः स्थायी विकास पर घोषणापत्र और कार्यान्वयन की योजना। हालांकि स्थायी खपत के मुद्दे बाद वाले दस्तावेज में हैं परन्तु फिर भी घोषणापत्र भी एक आशय पत्र के रूप में महत्त्वपूर्ण है। 'सम्मेलन के मुख्य परिणाम' शीर्षक वाले डब्ल्यू.एस. एस.डी. के परिणामों के संयुक्त राष्ट्र के सारांश के अनुसार, "सम्मेलन में स्थायी विकास एजेंडा की पुनः पुष्टि की गई और गरीबों के प्रति संघर्ष करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय योजना को नया प्रोत्साहन दिया गया।" इसके अलावा, "सम्मेलन के परिणामों, विशेष रूप से गरीबी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के बीच महत्त्वपूर्ण संबंधों के रूप में, स्थायी विकास की समझ–बूझ का दायरा बढ़ाया गया है और उसे सुदृढ़ बनाया गया।" जोहन्सबर्ग घोषणापत्र, मुद्दों की एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करता है जो नानाविध हैं, जैसे एच.आई.वी./एड्स, महिला सशक्तीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, बहुलवाद की स्वीकार्यता, मूलभूत आवश्यकताएं, सशस्त्र संघर्ष, ड्रग की समस्याएं और इसी प्रकार की अन्य अनेक बातें। परन्तु यह समस्याओं की कोई ऐसी स्तुति–माला नहीं है जिनके हल करने की अपेक्षा मानव से की जाती है। एक ऐसे बेहतर विश्व के दृश्य की झांकियां मौजूद हैं जो पर्यावरण की चिन्ता करता है, जहां पूरी गरीबी समाप्त कर दी गई है, जहां मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती हैं और जो मानव समाज को अमीर और गरीब के बीच बांटने वाली तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच हमेशा अंतर बढ़ाने वाली गहरी दोषपूर्ण लाइन को समाप्त करने की मांग करता है।"

कार्यान्वयन की जोहन्सबर्ग योजना विस्तार से दी गई है और योजना का कुछ अधिक विशिष्ट अध्याय III, खपत और उत्पादन के गैर–स्थायी पैटर्नों में परिवर्तन करने से संबंधित है। इस अध्याय की शुरुआत यह उल्लेख करने के साथ होती है कि *"जिन तरीकों से समाज उत्पादन करता है और खपत करता है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य हैं।"* 'मात्रा' के बजाए 'तरीके' पर जोर देना, 'स्थायी खपत पैटर्न' की संकल्पना के अनुसार है। सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारियों के सिद्धान्त सहित रिओ के सिद्धान्तों को दोहराया गया है। परन्तु यह योजना, सरकारी जिम्मेदारी को विस्तारित करती है और इस संबंध में यह कहते हुए उन्हें कम करती है कि *"सरकारों, संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी सैक्टरों और सभी बड़े समूहों को, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्नों को बदलने में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।"* इस योजना में स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के 10 वर्ष के ढांचे के विकास की व्यवस्था है। यह कार्य, समस्या का समाधान करके और जहां उपयुक्त हो, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय विकृति को अलग–अलग करके, दक्षता में सुधार करके और विकृति, प्रदूषण तथा अपशिष्ट को कम करके, किया जाएगा। विशिष्ट कार्रवाइयों में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिएः विशिष्ट साधनों और नीतियों की पहचान करना, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और मानीटरिंग करना, 'प्रदूषण फैलाने वाले जुर्माने भरें' सिद्धान्त का को लागू करना, जागरूकता उत्पन्न करना और सूचना का प्रसार

करना, उत्पादों और सेवाओं में सुधार करने के लिए नीतियां बनाना ताकि उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम किया जा सके और स्वैच्छिक आधार पर उपभोक्ता सूचना साधन अपनाना जिन्हें भिन्न व्यापार प्रतिबंध के रूप में इस्तेमाल न किया गया हो। 10 वर्ष के ढांचे के अलावा, योजना में, स्वच्छ उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में अधिक निवेश की सिफारिश की गई है। इसे उपयुक्त विनियामक, वित्तीय और कानूनी ढांचे स्थापित करने की नीतियों और प्रोत्साहन तथा समर्थन योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से यहां निजी सैक्टर की भूमिका पर जोर दिया गया है। सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे स्वैच्छिक पहलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, कारपोरेट पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी तथा जवाबदेही में वृद्धि करें। विभिन्न स्तरों पर सरकार को राष्ट्रीय और स्थानीय विकास की योजना बनाने, अवसंरचना व्यवसाय विकास और सरकारी अधिप्राप्ति में निवेश सहित निर्णय लेने में स्थायी विकास को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को विकृत किए बिना, पर्यावरणीय लागतों का आंतरिकीकरण और आर्थिक साधनों का इस्तेमाल शामिल होगा।

जोहन्सबर्ग योजना अधिक विस्तृत है और इसमें रिओ सम्मेलन के एजेंडा 21 की तुलना में स्थायी खपत और उत्पादन के उपचार का विस्तृत विवरण है। फिर भी इसमें किसी निश्चयात्मक कदम का जिक्र नहीं है। इस योजना में कार्यक्रमों

का एक ढांचा तैयार करने के लिए दस साल की समय–सीमा का प्रस्ताव दिया गया है जबकि 'ट्रैकिंग प्रोग्रैस' शीर्षक वाले अध्ययन में, स्थायी खपत पर कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए पाँच साल की अवधि की सिफारिश की गई है। रिओ एजेंडा के विपरीत, इस योजना में स्थायी खपत और उत्पादन के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में निजी उद्यमों की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इससे सरकारों की भूमिका सीमित और कम हो जाती है। स्थायित्व के प्रति निजी उद्यमों द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रयासों के अनेक संदर्भ, स्थायित्व की समस्या को गम्भीरतापूर्वक हल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के सूचक हैं। सरकारों की भूमिका को, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को विकृत करने वाली माना गया, रोक लगाने वाली कार्रवाइयों के निषेधों द्वारा सीमित कर दिया गया है। अंततः इस योजना में पर्यावरणीय विकृति से आर्थिक विकास का संबंध विच्छेद कर दिया गया है और उसके द्वारा स्थायित्व की समस्या को केवल प्रौद्योगिकीय समस्या तक ही सीमित कर दिया गया है।

जोहन्सबर्ग सम्मेलन के बाद स्थायित्व के प्रति प्रगति धीमी रही है। जून 2003 में, स्थायी खपत और उत्पादन के लिए बनाए गए कार्यक्रम के 10 वर्षीय ढांचे पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठक माराकेच, मोरोक्को में आयोजित की गई। इस बैठक को 10 वर्षीय ढांचे के विकास के प्रति एक मूल कदम के रूप में देखा गया और इसके निष्कर्ष में दर्शाया गया कि यह एक मूल कदम कैसे है।

इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उल्लेख किया गयाः *"माराकेच कार्यवाही में यह दर्शाया गया कि स्थायी खपत और उत्पादन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना एक मुख्य मुद्दा है। दस साल की एक महत्त्वपूर्ण अवधि में, विषय के विस्तार और दायरे पर विस्तृत वाद–विवाद के बाद, अब चुनौती यह है कि अधिक सामान्य से विशिष्ट की तरफ चला जाए और कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।*[18] "

fo'o cd dk nf"Vdk.k

इसलिए, एक स्तर पर स्थायी खपत और उत्पादन के प्रति हुई प्रगति निराशाजनक रही है। परन्तु यह बात भी सच है कि प्रौद्योगिकीय मोर्चे पर कुछ देशों ने, पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देने और प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को कम करने में सराहनीय प्रगति की है। अस्थायी खपत और उत्पादन पर हुए अंतर्राष्ट्रीय वाद–विवाद में दर्शाई गई और पैदा हुई अधिक जागरूकता का ही यह असर हुआ है। इस वाद–विवाद का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम, प्रौद्योगिकियों का विकास और स्थायित्व का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया संकेतक, रहा है। "सभी सदस्य देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कम से कम सैटेलाइट प्रणालियों सहित लेखाकरण ढांचे में पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को संघटित करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय लेखाओं की मौजूदा प्रणालियों

[18] स्थायी विकास डिवीजन, स्थायी खपत और उत्पादन पर बनाए गए कार्यक्रमों का यू.एन.ई.पी. 10 वर्षीय ढांचाः माराकेच कार्यवाही, बैठक का मुख्य निष्कर्ष (यू.एन.ई.पी. वैबसाइट)।

का विस्तार करने के लिए" एजेंडा 21 प्रतिबद्ध है। सन् 1994 में विश्व बैंक ने, खपत और उत्पादन से फोकस बदल कर पूंजी के स्टॉक पर फोकस करके, स्थायित्व का मूल्यांकन किए जाने योग्य संकल्पना को इसमें जोड़ दिया। चूंकि पूंजी से वार्षिक आय होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आय भावी पीढ़ियों के लिए कम से कम उतनी बनी रहे जितनी आज है, अपेक्षा की जाती है कि पूंजी के विश्व स्टॉक में कम से कम उस रफ्तार से वृद्धि होनी चाहिए जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है। पूंजी को चार विभिन्न श्रेणियों वाला माना गया हैः मानव कृत या निर्मित पूंजी (मशीनें, कारखाने, भवन और संरचनाएं), प्राकृतिक पूंजी (जैसे कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के कार्यों में चर्चा की गई है), मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तियों के पोषाहार में निवेश) तथा सामाजिक पूंजी (कार्य करने हेतु समाज के लिए संस्थागत या सांस्कृतिक आधार)[19]। कमजोर स्थायित्व को आगे इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "पूंजी के विभिन्न चार प्रकारों के बीच उस पूंजी के संघटन पर ध्यान दिए बिना कुल पूंजी को सम्पूर्ण बनाए रखना।"[20] पिछले समय में और पूरे देश में इस मायने में परिभाषित पूंजी के कुल स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए यह देखने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं कि क्या विकास स्थायी रहा है या नहीं। ऐसे दो अध्ययनों के निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित हैः

[19] विश्व बैंक 1994, वही पृष्ठ 30।
[20] वही, पृष्ठ 32

विश्व बैंक की पद्धति के अनुसार सबसे प्रभावशाली अध्ययन हैमिल्टन और क्लेमैन्स[21] द्वारा किया गया अध्ययन है। उन्होंने 'असली घरेलू बचत' को 'पूंजी के कुल स्टॉक' के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया। तथापि 'असली घरेलू बचत', पूंजी की तीन श्रेणियों से बनती हैः भौतिक (निर्मित) पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी (संभवतः मूल्यांकन की कठिनाई के कारण सामाजिक पूंजी को लेखकों द्वारा शामिल नहीं किया गया)। अनुसंधानकर्ताओं ने भौतिक पूंजी निर्माण के राष्ट्र स्तरीय प्रकाशित आंकड़ों का इस्तेमाल किया और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय पूंजी के रिक्तिकरण के लिए इसे लेखे में समायोजित किया। शिक्षा पर किए गए खर्च के बदले मानव पूंजी की संचित राशि को आंकड़ों में जोड़ा गया ताकि पूंजी का कुल स्टॉक निकाला जा सके। प्राकृतिक/पर्यावरणीय पूंजी में किए गए विनिवेश का मूल्यांकन, वाणिज्यिक वनों, तेल और खनिजों के स्टॉकों में हुए निवल परिवर्तनों को हिसाब में लेकर और कार्बनडाईआक्साइड उत्सारणों के परिणामस्वरूप वातावरण संबंधी स्तर की विकृति को हिसाब में लेकर, किया गया। इसलिए आकलन, पूंजी के कुल स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित नहीं थे परन्तु इस बात से संबंधित थे कि क्या वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि हुई है या नहीं। लेखकों ने पाया कि 1998 में सभी अमीर देशों में असली घरेलू बचत सकारात्मक थी और अपेक्षाकृत अनेक

[21] हैमिल्टन, किर्क और माइकल क्लेमैन्स, 1999। "विकासशील देशों में असली बचत दें" विश्व अर्थशास्त्र समीक्षा, 13.2।

गरीब देशों में, 33 गरीब देशों के अपवाद के साथ, अधिकांश उप–सहारा अफ्रीका से संबंधित देश थे।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपना कर परन्तु प्रति व्यक्ति असली सम्पत्ति की वृद्धि दर के मूल्यांकन का प्रयास करने वाले एक अन्य अध्ययन[22] का निष्कर्ष भी इसी प्रकार का निकला। अध्ययन में पहले असमायोजित असली सम्पत्ति की वृद्धि दर का मूल्यांकन किया गया जिसे मानव पूंजी निर्माण पर किए गए खर्च की वृद्धि दरों, प्राकृतिक पूंजी के भौतिक निवेशों और विनिवेशों से प्राप्त किया गया। अध्ययन में तर्क दिया गया कि प्रौद्योगिकीय प्रगति से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके भी उतना ही उत्पादन प्राप्त होने की संभावना होती है। इसलिए, लेखकों ने असली सम्पत्ति की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर निकालने के लिए उत्पादकता की वृद्धि दर को सम्पत्ति की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में जोड़ दिया। जिन देशों का अध्ययन किया गया, उन देशों के लिए, उप–सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व के/ उत्तरी अफ्रीका के देशों के लिए असली सम्पत्ति की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर नकारात्मक पाई गई। अमीर देशों में असली सम्पत्ति की वृद्धि दर सकारात्मक पाई गई जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके खपत और उत्पादन पैटर्न, स्थायित्व की कसौटी पर खरे उतरते हैं। दोनों अध्ययनों के विरोधी–अंतदर्शी परिणाम निकले कि अपेक्षाकृत गरीब देशों में विकास अस्थायी है जबकि अमीर देशों में, उनकी अत्यधिक खपत

[22] एरो केनेथ; पार्था दासगुप्ता एट एल 2004 "क्या हम बहुत अधिक खपत कर रहे हैं" आर्थिक परिदृश्य का जर्नल 18.3।

के बावजूद स्थायी विकास दर्शाया गया। लेखकों को इस व्याकुल कर देने वाले निष्कर्ष (जिसमें, उसके सिर पर सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत जिम्मेदारी के सिद्धान्त को पलटने की शक्ति है) का स्पष्टीकरण देते हुए दुःख हुआः *"कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि कुछ गरीब देश बहुत अधिक खपत कर रहे हैं। अनेक गरीब राष्ट्रों में पूंजीगत सामान और खपत वाले सामान दोनों का उत्पादन बहुत अधिक अदक्ष है।*[23]

स्थायित्व पर किए गए अनुभवजन्य अध्ययनों के विरोधाभासी परिणाम उस तरीके का परिणाम है जिस तरीके से अब स्थायित्व को परिभाषित किया जा रहा है। अस्थायित्व की सामान्य समझ इस अनुभूति से उत्पन्न होती है कि तेजी से बढ़ती विश्व की जनसंख्या के लिए खपत में बेलगाम वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पृथ्वी के संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। परन्तु खपत पर फोकस जारी रखने के बजाए, विश्व बैंक के दृष्टिकोण ने, विस्तृत मायने में, ध्यानाकर्षण का केन्द्र बदल कर पूंजी निर्माण कर दिया। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि अमीर देश केवल अधिक उपभोग ही नहीं करते बल्कि अधिक बचत भी करते हैं। गरीब देश कम बचत करते हैं और अक्सर, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राथमिक उत्पादों के निर्यात को आधार बनाते हैं। खपत की अनदेखी करके और केवल पूंजी निर्माण का मूल्यांकन करके, यह तथ्य यह विरोधाभासी परिणाम

[23] एरो एट एल वही

देता है कि ऐसे गरीब देश जिनके लिए अपनी आजीविका की आवश्यकता पूरी करना मुश्किल होता है, उनकी खपत का पैटर्न अस्थायी होता है जबकि अमीर देशों, पृथ्वी के ऐसे संसाधनों, जो आयातित किए जाते हैं, का बड़ी मात्रा में उपभोग करने के बावजूद, की खपत का पैटर्न स्थायी दर्शाया गया है।

ey vko';drk dk nf"Vdk.k d ifr

प्राकृतिक संसाधनों का रिक्तिकरण, दुनिया के गरीब लोगों के लिए एक बहुत गम्भीर समस्या है। खपत की अनदेखी करके और पूंजी निर्माण का मूल्यांकन करके, स्थायित्व के अंतर्राष्ट्रीय पंडित गलत तुक्के लगा रहे हैं। यह बात आवश्यक है कि स्थायित्व के सभी कार्यक्रमों में खपत को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। हमारी राय में ऐसा तरीका यह है कि स्थायित्व की ब्रंटलैंड की उस परिभाषा को पुनर्जीवित किया जाए जो आवश्यकताओं पर जोर देती है। क्या विश्व, प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करता है? विश्व की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2003 में 5500 अमरीकी डालर थी या उस वर्ष की 45/— रुपए प्रति डालर की विनिमय दर का इस्तेमाल करते हुए, रुपए के हिसाब से 2,27,500/— रुपए थी। भारत में बहुत कम लोगों के पास प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का यह स्तर है। इसलिए, महात्मा गांधी का यह कथन कि पृथ्वी पर, मनुष्य की

आवश्यकताओं के लिए काफी संसाधन हैं, केवल सत्य ही नहीं है बल्कि विश्व के उत्पादन का मौजूदा स्तर, मूल आवश्यकताओं की विस्तृत सूची वाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है बशर्ते कि इन्हें अधिक समानता से बांटा जाए। अध्ययन में यह भी दर्शाया गया है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद के बीच सकारात्मक संबंध मौजूद हैं[25]। प्रसन्नता और प्रति व्यक्ति उत्पादन के बीच भी इसी प्रकार के परिणाम रिपोर्ट किए गए हैं।[26] दूसरे शब्दों में, एक निश्चित पाइंट से अधिक बढ़ता उत्पादन और खपत, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार नहीं करता और न ही इसके परिणामस्वरूप मनुष्य में अधिक प्रसन्नता आती है।

प्रौद्योगिकीय सुधार महत्त्वपूर्ण होता है, जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य में जोर दिया गया है और हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर भी, प्रौद्योगिकी को अनन्य रूप से आधार बनाने की अपनी सीमाएं हैं और तकनीकी दृष्टिकोण का अन्य उपायों द्वारा समर्थन किए जाने की आवश्यकता है। इन उपायों में वे आय शामिल हैं जिन्हें एजेंडा 21 में 'स्थायी विकास और समृद्धि की नई संकल्पनाओं का विकास करना' कहा गया है। रिओ एजेंडा की भाषा में, इसमें आवश्यक रूप से 'स्थायी विकास को समर्थन देने वाले मूल्यों को

---

[25] डेनर ई. और करोल डेनर, 1995, 'दि वैल्थ ऑफ नेशन्श रिवीजीटेडः आय और जीवन स्तर', सामाजिक संकेतक अनुसंधान, खंड 36 केन्नी चार्ल्स, 1999 की पुस्तक क्या वृद्धि से प्रसन्नता आती है या क्या प्रसन्नता से वृद्धि होती है? किकलोस खंड 5.2 संख्या में यथा उद्धृत।

[26] केन्नी, वही।

पुनर्बलित करना शामिल है। भारत में गांधी की विचारधारा ने हमेशा, आवश्यकताओं को स्वेच्छा से सीमित करने, स्वैच्छिक प्रजनन, सामुदायिक रहन–सहन और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के महत्त्व पर जोर दिया है। इस नैतिक मूल्यों वाली व्यवस्था, जो उपभोग को एक आवश्यकता मानती है परन्तु अपने आप में यह कोई अंत नहीं है, की परम्परागत प्रज्ञा (अर्थात मनुष्य केवल रोटी पर ही जिन्दा नहीं रहता) की विभिन्न धाराओं से प्रेरणा प्राप्त होती है और आधुनिक अर्थशास्त्री के उस विचार के विपरीत है जो उच्चतर उपभोग को बेहतर कल्याण के बराबर मानता है। स्थायित्व के बाद विवाद में अधिकतम और खपत के स्थायित्व के बीच चयन करना चाहिए। यहां तक कि विश्व बैंक ने भी नैतिक मूल्यों के महत्त्व को स्वीकार किया और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर एक बैठक आयोजित की।[27] परन्तु इस प्रकार के प्रयासों को जारी नहीं रखा गया।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थायित्व के लिए सबसे बड़ी बाधा मनोवैज्ञानिक है और तकनीकी नहीं। इस विचार को 2002 में स्थायी खपत पर दी गई वैश्विक स्टेटस रिपोर्ट में कुछ हद तक स्वीकार किया गया। स्टेटस रिपोर्ट में, अस्थायी खपत की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित तीन परिदृश्यों से एक वैकल्पिक संकल्पनात्मक दृष्टिकोण का तर्क दिया गयाः उपबंध,

[27] सेरागोल्डन इस्माइल और रिचर्ड बारेट (संस्करण) 1995, पर्यावरणीय रूप में स्थायी विकास को बढ़ावा देने वाले नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, विश्व बैंक

अभिप्रेरण और पहुंच। अभिप्रेरण पर चर्चा करते हुए, स्टेटस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि उपभोक्ताओं के रूप में लोगों के कार्यों और व्यवहारों का श्रेय उन अभिप्रेरणों को दिया जा सकता है जो आवश्यकताओं और इच्छाओं से मिलते हैं और सूचना तथा समझबूझ पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता हमेशा अधिकतम उपभोग करने वाले के रूप में व्यवहार नहीं करते और *"यह स्वीकार करना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि कुछ उपभोक्ता, खपत और प्रदूषण/अपशिष्ट के बीच संबंध देखते हैं और उत्पाद के पीछे जीवन के बारे में चिंतित हैं। विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को, व्यक्तिगत लक्ष्यों के बजाए सामाजिक लक्ष्यों द्वारा, अल्पकालिक हितों के बजाए दीर्घकालिक हितों द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है और वे उपभोग करने के लिए जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं।"* जैसा कि वैश्विक उपभोक्ताओं और युवाओं पर किए गए यू.एन.ई.पी. के सर्वेक्षण में दर्शाया गया है, यह व्यवहार क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है।[28] दुर्भाग्यवश, नीति निर्धारण स्तरों पर, स्थायित्व पर मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर स्टेटस रिपोर्ट में चर्चा नहीं की गई है। सरकारें उन पहलों से सीख ले सकती हैं जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सरकारों द्वारा की गई हैं। उदाहरण के लिए स्विटजरलैंड के संविधान में स्थायी विकास को एक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया है और परिसंघ तथा प्रान्तों से अपेक्षा की गई है कि *"वे एक तरफ, अपना नवीकरण करने के लिए, प्रकृति और*

[28] स्टेटस रिपोर्ट 2002 से उद्धरण

अपनी क्षमता के बीच एक संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास करें और दूसरी तरफ मानव जाति द्वारा इसकी मांग की जाए।[29] ब्रिटिश सरकार ने स्थायी खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई के एक ढांचे को अपना लिया है[30] जो चुनिन्दा पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए, मूल्यांकन किए जाने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। सरकारों को इच्छाशक्ति रखने की आवश्यकता है क्योंकि प्रगति प्राप्त करने के लिए साधनों और उपायों का कुछ अभाव है।

स्टेटस रिपोर्ट में दी गई शर्त का इस्तेमाल करने के लिए उपबंधों की प्रणालियों में हस्तक्षेप भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम आकर्षित किया है। इनमें एक प्रमुख संघटक के रूप में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप शामिल हैं। उपबंधों की प्रणालियों में, "*उन अनेक तरीकों की जांच शामिल है जिन तरीकों से उत्पादों और सेवाओं की खपत और उस खपत से जुड़े संसाधनों (तथा अपशिष्ट का उत्पादन) का इस्तेमाल, सृजन, सुपुर्दगी, उपयोगिता, निपटान और सूचना के ढांचे द्वारा तय होता है।*"[31] इसमें, उत्पादों तथा सेवाओं के डिजाइन, उत्पादन, वितरण और निपटान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ऐसे उपबंधों में हस्तक्षेप जो उस होलिस्ट दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित है जो पूरे

[29] ए.आई.ई.: स्थायी विकास, स्विटजरलैंड में परिभाषा और संवैधानिक स्थिति (http:/www.are.adnub.ch/are/en/nachhaltig/definition/index. html.)

[30] जीवन का एक बेहतर स्तरः यू.के. के लिए स्थायी विकास हेतु एक रणनीति, डेफरा, मई 1999।

[31] स्टेटस रिपोर्ट 2002।

जीवन को उत्पादों और सेवाओं का चक्र मानती है, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय विकृति के चयनात्मक संबंध विच्छेद की अनुमति देता है। ऐसे दावे को पुष्ट करने के लिए काफी अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद हैं कि विकसित देशों में से अनेक देशों ने कुछ प्रकार के वायु और जल प्रदूषण को राष्ट्रीय उत्पाद में होने वाली वृद्धि से सफलतापूर्वक अलग किया है। रिसाइक्लिंग, निस्सारी की अभिक्रिया, इको लेबलिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास अपनाने के लिए प्रोत्साहन, प्रदूषण फैलाने वालों पर कर लगाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों जैसे अनेक उपाय अनेक मामलों में प्रभावी रहे हैं।

अंततः, स्थायित्व क्रांतिक रूप से इस पहुंच पर निर्भर है कि गरीब लोगों को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों और वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी। किसी बाजार अर्थव्यवस्था में पहुंच, मुख्य रूप से उस निजी आय पर निर्भर है जिसका सकारात्मक संबंध, संसाधनों के स्वामित्व, ज्ञान, दक्षता और रोजगार के साथ है। सरकारी नीतियां और कानूनी तथा सामाजिक हकदारियां ऐसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं जो इस पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं। आय और सम्पत्ति के पुनर्विभाजन उपाय, वित्तीय और अन्य आर्थिक साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, रोजगार सृजन कार्यक्रम, गरीब लोगों को मूल सुविधाओं की सरकारी व्यवस्था, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्थानीय संसाधनों

पर नियंत्रण आदि, गरीब लोगों द्वारा मूल आवश्यकताओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के कुछ जाने–पहचाने उपाय हैं।

इसलिए, स्थायी खपत, खपत के पैटर्न को बदलने से कुछ अधिक है। यह एक अति विशाल कार्य है जिसमें नैतिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी, संस्थानों, नीतियों और प्रक्रियाओं में मौलिक सुधार शामिल है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यवसाय,उद्योग, शिक्षाविदों, सरकारी और सिविल सोसाइटी संगठनों सहित सभी वर्गों से योगदान आवश्यक है। स्थायी खपत का अर्थ है – बेहतर विश्व में बेहतर जीवन।

vuqc/k

ukfVl] f'kdk;r] 'kiFki= vkj mRrj dk eklMy Qkel
eklMy Qkel 1&f'kdk;r nt djus ls igys ukfVl

नाम और पता

....

(ट्रेडर, डीलर, फर्म कम्पनी आदि का)

(पूरा पता)

के विषय में (विवरण देते हुए शिकायत वाले सामान/सेवाओं का उल्लेख करें)

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मैंने .... रुपये के, ... बैंक में आहरित दिनांक .... के चैक संख्या .... के जरिए या आपके कैश मीमों/रसीद/इनवायस संख्या .... के प्रति नकद भुगतान किए गए .... रुपये के प्रतिफल में आप के .... से .... खरीदा था।

उक्त में निम्नलिखित खराबियां हैं :

(1) ....

(2) ....

मैंने कई बार आपको मामले की सूचना दी (पिछले पत्र, यदि कोई हो, का हवाला दें) परंतु मेरे सभी निवेदनों के बावजूद अपने सामान की खराबी या सेवा में होने वाली कमी की भरपाई नहीं की जो वास्तव में खेदजनक है और व्यवसाय संबंधी व्यवहार के विरूद्ध है। आपके द्वारा की गई कर्त्तव्य की अवहेलना और सामान को ठीक करने में विफल रहने तथा लापरवाही करने के कारण मुझे निम्नलिखित क्षति हुई है/राशि खर्च करनी पड़ी है :

....

.....

.....

.....

.....

(विवरण दें)

जिसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपसे अंततः एतद् द्वारा अनुरोध है कि :

(1) सामान में आई उक्त खराबी को ठीक करें और / या

(2) उसके बदले नया सामान दें और या

(3) कीमत/भुगतान किए गए प्रभार लौटाएं

(4) आपकी लापरवाही के कारण हुई वित्तीय हानि/क्षति ब्याज की हानि के मुआवजे का भुगतान करें। ..... (विवरण दें)।

इस संबध में ..... प्रतिशत की दर से ..... रुपये की राशि का भुगतान इस नोटिस की प्राप्ति के ..... दिन के अंदर कर दें अन्यथा मैं अपनी उपरोक्त शिकायत के निवारण के लिए और उपरोक्त धनराशि की वसूली के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कानूनी उपबंधों के अंतर्गत शिकायत दायर करने के अलावा सिविल और फौजदारी दोनों अदालतों में, पूर्णतः आपके हर्जे, खर्चे और जिम्मेदारी पर मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य हूंगा। इसे कृपया नोट कर लिया जाए।

स्थान : .....

तारीखः .....

हस्ताक्षर.....

EkkMy Qke 2&f'kdk;r

मानननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ..... के समक्ष

या

मानननीय राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ....के समक्ष

या

मानननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष

.... (पूरा नाम) (विवरण) (पूरा पता) के मामले में 200.. की शिकायत संख्या .... के विषय में

.... शिकायतकर्ता

बनाम

(पूरा नाम) (विवरण) (पूरा पता)

.... विपक्षी पार्टी /पार्टियां

miHkkDrk laj{k.k vf/kfu;e] 1986 dh /kkjk 12@/kkjk 17@/kkjk 21 ds vrxr f'kdk;r

सविनय निवेदन इस प्रकार है :'

Hkfedk

(इस प्रारंभिक पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को अपना परिचय और विपक्षी पार्टी/पार्टियों का परिचय देना चाहिए।)

ykunu

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को शिकायत वाले लेनदेन अर्थात ली गई सेवाओं के विवरण, सामान की मदों/सेवा के स्वरूप और किस्म, खरीदे गए सामान/ली गई सेवाओं की तारीख, सामान/सेवा के प्रति पूर्णतः या अंशतः कीमत/प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई धनराशि, का विवरण देना चाहिए। बिल/कैश मीमो/वाउचर या रसीद की फोटोकॉपी संलग्न की

जानी चाहिए और उन पर अनुलग्नक क, ख, ग आदि या 1, 2, 3 आदि के रूप में उचित ढ़ंग से अंकित किया जाना चाहिए।)

[kjkch@deh

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को शिकायत स्पष्ट करनी चाहिए अर्थात क्या हानि या क्षति किसी ट्रेडर द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार द्वारा हुई है या क्या सामान में कोई खराबी है या क्या सेवा में कोई कमी रही है या क्या ट्रेडर ने सामान की अधिक कीमत ली है। व्यक्ति को ट्रेडर द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार का स्परूप स्पष्ट करना चाहिए जैसे सामान/सेवा की गुणवत्ता से संबंधित, प्रयोजनता, वायदा की गई अवधि के लिए वारंटी या गारंटी। सामान में होने वाली खराबी की सीमा और स्वरूप को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इसी प्रकार सेवा में होने वाली कमी की सीमा और स्वरूप को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अधिक कीमत लिये जाने के मामले में, व्यक्ति को चाहिए कि वह ट्रेडर द्वारा वसूल की गई कीमत के मुकाबले समय–समय पर प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत या उसके द्वारा निश्चित की गई वास्तविक कीमत या सामान पर और उसके पैकिंग पर लिखी गई कीमत के विवरण का उल्लेख करे। जीवन और सुरक्षा के लिए खतरे वाले सामान की बिक्री के प्रस्ताव के खिलाफ भी शिकायत दायर की जा सकती है, जब सामान का इस्तेमाल कर लिया जाए। आपको अपनी शिकायत का वर्णन करना चाहिए। इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इसे संवेदनशील और व्यावहारिक न्यायधीशों द्वारा पढ़ा जा रहा है। इस पर सुनवाई की जा रही है। संबंधित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।)

l:'kk/ku

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को विशेष रूप से दर्शाना चाहिए कि मामले को सुलझाने के लिए उसने क्या प्रयास किए अर्थात व्यक्तिगत दौरे या समझौता वार्ता, लिखित में पत्र व्यवहार, यदि कोई हो, क्या कोई कानूनी नोटिस दिया गया और/या वह शिकायत के निवारण के लिए किसी अन्य एजेंसी जैसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल या फौजदारी अदालत के पास गया,

उसकी कार्यवाही का चरण, उसका परिणाम, यदि कोई निकला, ऐसी कार्यवाहियों की प्रतियों सहित (बेहतर हो यदि प्रमाणित हों)। ट्रेडर से प्राप्त हुए प्रत्युत्तर के स्परूप, जब अनियमितताएं उसकी जानकारी में लाई जाएं, का जिक्र भी यहां किया जाना चाहिए।)

vU; mic/k

(इस पैराग्राफ में किसी अन्य कानून या नियम या प्रक्रिया विशेष के विनियम का हवाला दिया जाए जो इस मामले पर लागू हो और/या जिसका ट्रेडर द्वारा और कानून के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। ऐसे प्रासंगिक कानूनी दायित्व भी होते हैं जो ट्रेडर को पूरे करने चाहिए और ऐसा न करने पर प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तथा फोरम इसका संज्ञान लेगा।)

lk{;

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को उन दस्तावेजों और/या गवाहों का विवरण देना चाहिए जिन्हें वह अपने मामले को साबित करने के लिए आधार बनाएगा। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार अनुबंधों के रूप में संलग्न किए गए दस्तावेजों को उचित सूची में शामिल किया जाए और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, भी इसी प्रकार दाखिल की जाए। अनुबंधों को 'सत्य प्रतिलिपि' के रूप में अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।)

{k=kf/kdkj

(इस पैराग्राफ में, शिकायतकर्ता को शिकायत में दावा निर्धारित करना चाहिए अर्थात 20 लाख रुपये तक, बीस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक या उससे अधिक और फोरम/राज्य स्तरीय कमीशन/राष्ट्रीय कमीशन, जैसा भी मामला हो, का आर्थिक क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए। किसी औपचारिक

आपत्ति को दूर करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए।)

ifjlheu

(इस पैराग्राफ में यह दिया जाना चाहिए कि मौजूदा शिकायत, अधिनियम की धारा 24 क के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर दायर की गई है।

nkok dh xbZ jkgr

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दावा की गई राहत के स्वरूप का वर्णन करना चाहिए अर्थात सामान में होने वाली खराबी या सेवाओं में होने वाली कमी को दूर करने के लिए सामान के बदले नया सामान बदलना, भुगतान की गई कीमत या प्रभार लौटाना आदि और/या विपक्षी पार्टी की लापरवाही से हुई वित्तीय हानि या क्षति के कारण उसके हित के विपरीत मुआवजा। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपने दावा किए गए मुआवजे की धनराशि का हिसाब कैसे लगाया है।)

izkFkZuk okyk [kaM

अतः सविनय निवेदन है कि माननीय फोरम/कमीशन कृपया ....(उस राहत का विवरण जो शिकायतकर्ता चाहता है कि न्यायालय उसे प्रदान करे।)

स्थान : ....
दिनांक : ....

शिकायतकर्ता......................
के जरिये

(वकील या उपभोक्ता
एसोसिएशन आदि)

lR;kiu

मैं ..... उपरोक्त शिकायतकर्ता एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि मेरी उपरोक्त शिकायत की विषय–वस्तु, मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक ..... को ..... (स्थान) में सत्यापित।

(शिकायतकर्ता)

fVli.kh % हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के समर्थन में कोई ऐसा हलफ़नामा दाखिल करे जो आरोपों की सच्चाई और सत्यनिष्ठा की पुष्टि करता हो और मामले को विश्वसनीयता प्रदान करता हो। इसका स्टाम्प पेपर पर होना भी आवश्यक नहीं है। परंतु इसे, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए किसी 'ओथ कमीशनर' से अनुप्रमाणित कराया जाना चाहिए। इसका फोरमेट बिल्कुल सरल है।

ekMy Qke 3 & f'kdk;r d leFku e gyQukek

माननीय .... के समक्ष

दिनांक .... की शिकायत संख्या ..... के विषय में।

.... शिकायतकर्ता

बनाम

.... विपक्षी पार्टी

के मामले में

gyQukek

श्री .... सुपुत्र .... आयु.......................
निवासी .... का हलफ़नामा

1. कि मैं उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता हूँ, मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हूँ और इस हलफ़नामें में शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।

2. कि मेरी संलग्न शिकायत में दिए गए तथ्यों, जिनकी विषय–वस्तु संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराई नहीं गई है, को इस हलफ़नामें के एक अभिन्न भाग के रूप में पढ़ा जाए और यह तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं।

शपथकर्ता

IR;kiu

मैं .... उपरोक्त शिकायतकर्ता एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि मेरी उपरोक्त शिकायत की विषय–वस्तु, मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और इसका कोई

भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक ..... को ..... (स्थान) में सत्यापित।

शपथकर्ता

ekMy Qke 4&VhMj nokjk f'kdk;r dk mRrj

माननीय उपभोक्ता निवारण फोरम/कमीशनर .... के समक्ष

दिनांक .... की शिकायत संख्या .... के विषय में

.... शिकायतकर्ता

बनाम

.... विपक्षी पार्टी

d: ekey: e:

सुनवाई की तारीख ....

f'kdk;rdrk dh f'kdk;r d mRrj e ifroknh dh vkj l fyf[kr c;ku

सविनय निवेदन इस प्रकार है :–

ikjfHkd vkifRr;k

1. कि मौजूदा शिकायत पूरी तरह गलत, निराधार और कानूनी दृष्टि से अमान्य है और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। प्रश्नाधीन लेनदेन किसी प्रतिफल के बिना और प्रभार मुक्त था।

2. कि इस माननीय फोरम/कमीशन को शिकायत से संबंधित विवाद पर विचार करने और न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यह कोई उपभोक्ता विवाद नहीं है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, के उपबंधों के दायरे में नहीं आता और इस मामले की सुनवाई केवल सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है और इसलिए यह शिकायत केवल इसी कारण से खारिज किए जाने योग्य है।

3. कि मौजूदा शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर है और किसी भी स्थिति में यह अधिनियम ..... अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त है न कि उसके विपरीत। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई कार्यवाही पूरी तरह अमान्य और बिना क्षेत्राधिकार के है।

4. कि उक्त अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई 'शिकायतकर्ता' 'शिकायत' 'उपभोक्ता विवाद' और 'सेवा की' परिभाषाएं मौजूदा विवाद के दावों को कवर नहीं करती और कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है तथा शिकायत से संबंधित विवाद कोई 'उपभोक्ता विवाद' नहीं है।

5. कि मौजूदा शिकायत निराधार है और प्रतिवादी को परेशान करने तथा ब्लैकमेल करने के लिए कानून की प्रक्रिया का घोर दुरूपयोग है।

6. कि शिकायतकर्ता को मौजूदा कार्यवाही दायर करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

7. कि यह शिकायत, आवश्यक और उचित पार्टी के 'नान–ज्वाइंडर' के कारण अनुपयुक्त है और केवल इसी कारण खारिज किए जाने योग्य है।

8. कि शिकायतकर्ता ने, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में .... के लिए एक सिविल मुकदमा पहले ही दायर कर दिया है जो ..... के न्यायालय में निपटान के लिए लंबित है और मौजूदा शिकायत निष्फल हो गई है।

9. कि मौजूदा शिकायत, परिसीमन द्वारा बाधित है।

10. कि इस माननीय फोरम/कमीशन को कोई क्षेत्रीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि इस माामले से संबंधित धनराशि, उक्त अधिनियम की धारा 11(घ), धारा 17 (क) (प) और धारा 21 (क)(घ) में विनिर्धारित सीमा से अधिक/कम है।

11. कि मौजूदा शिकायत, सारहीन और चिढ़ाने वाली है और अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत खारिज किए जाने योग्य है।

12. कि मौजूदा शिकायत, कानून के अनुसार सत्यापित नहीं की गई है।

x|.k&nk"k d: vk/kkj i j

इन पैराग्राफों में प्रतिवादी को, लगाए गए प्रत्येक आरोप और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई वास्तविक तथा कानूनी दलीलों का उत्तर देना चाहिए। यदि उसने खराबी या कमी को ठीक कर दिया है तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण दें। अन्य बातों के साथ–साथ वह अपने निम्नलिखित बचाव भी कर सकता है :

1. कि उपरोक्त विवाद के पक्षों के बीच किया गया लेनदेन वाणिज्यिक है और शिकायतकर्ता इस प्राधिकारी से किसी राहत का दावा नहीं कर सकता क्योंकि .....

2. कि शिकायतकर्ता ने एक विक्रेता/रिटेलर/वितरक आदि के रूप में पुनर्बिक्री के लिए सामान खरीदा था और इसलिए आरोपित खराबी/कमी के लिए इस माननीय फोरम/कमीशन के पास आने से बाधित है क्योंकि ..... (विवरण दें)

3. कि शिकायतकर्ता ने पहले ही वारंटी की अवधि का लाभ उठा लिया है जिसके दौरान उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने प्रश्नाधीन सामान की मरम्मत कर दी है/को बदल दिया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता पर यह शिकायत करने पर या अपनी गलती के कारण लाभ लेने पर कानूनी रूप से रोक है।

4. कि मौजूदा शिकायत इस तथ्य के बावजूद अत्याधिक अतिश्योक्तिपूर्ण है कि शिकायतकर्ता विलंब और गफ़लत के लिए स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि उसने सामान की श्रेणी/फ्लैट की आबंटन योजना के प्रकार/वाहन के मॉडल आदि ..... के बारे में कई बार अपना विकल्प बदला है। (विवरण दें)

5. कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी को उपरोक्त विवाद की विषय–वस्तु के लिए अतिरिक्त कीमत वसूल करने का पूरी तरह अधिकार है क्योंकि समय उसकी सुपुर्दगी के जिए महत्वपूर्ण नहीं था। शिकायतकर्ता, उत्पाद शुल्क/बजटीय प्रावधानों आदि में बढ़ोतरी हो जाने के कारण दिनांक ..... से बढ़ी हुई कीमत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि ..... (विवरण में)

6. कि शिकायतकर्ता ने बिना कोई विरोध प्रकट किए मरम्मत/बदलने आदि के प्रति सामान/सेवा को स्वीकार कर लिया है और मौजूदा शिकायत केवल बाद में सोची गई बात है।

7. कि किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर देने वाले प्रतिवादी, सद्भावना प्रदर्शन के रूप में ..... करने के लिए तैयार है। (किसी ऐसे संशोधन, यदि कोई हो, का विवरण दें जो अवयस्क या उपभोक्ता को होने वाली बर्दाश्त करने योग्य समस्या और मुकदमें बाजी की समस्या के मामले में किया जा सकता हो।)

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेवा में होने वाले दोष/खराबी/लापरवाही और/या कमी के आरोप, असंगत और काल्पनिक होने के साथ–साथ पूरी तरह गलत, निराधार, मिथ्या और कानूनी दृष्टि से अमान्य हैं।

अनुरोध खंड और उसमें किए गए सभी अनुरोध पूरी तरह गलत हैं और जोर देकर उनसे इंकार किया जाता है। शिकायतकर्ता किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है। और मॉडल फार्म लागत का हकदार नहीं है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
¼foi{kh ikVh½
वकील के जरिए

lR;kiu

मैं ..... उपरोक्त नाम वाला प्रतिवादी एतद् द्वारा सत्यापन करता हूँ कि गुणावगुण के आधार पर लिखित बयान के पैरा .... से ..... तक की विषय–वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। जबकि गुणावगुणों के आधार पर प्रांरभिक आपत्तियों के पैरा ..... से ..... तक और उत्तर के पैरा ..... से ..... तक मेरी सूचना, विश्वास और मेरे द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही है और मेरा विश्वास है कि वे सही हैं और अंतिम पैरा माननीय न्यायालय से किया गया अनुरोध है।

दिनांक ..... को ..... (स्थान) पर सत्यापित।

हस्ताक्षर
¼foi{kh ikVh½